

राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राज. जयपुर

जी-3 राजमहल रेजिडेंसी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक, सी-स्कॉम, जयपुर।

टेलीफोन - 0141-2222403, ई-मेल - dlbrajasthan@gmail.com वेब साइट - www.lsg.urban.rajasthan.gov.in

क्रमांक - एफ 55()Engg./CE/DLB/19/ 22144

दिनांक 20/5/19

संशोधित आदेश

विभागीय आदेश क्रमांक 20091 दिनांक 09.05.2019 द्वारा नगर पालिका, रामगढ़ शेखावटी में विकास कार्यों की प्राप्त शिकायतों की जांच किये जाने हेतु श्री मुकेश गुप्ता, अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम जयपुर के स्थान पर श्री राजीव गर्ग, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर को नोडल अधिकारी लगाया जाता है। उक्त जांच टीम अपनी रिपोर्ट 15 दिवस में आवश्यक रूप से प्रस्तुत करें।

(पवन अरोड़ा)

निदेशक एवं संयुक्त सचिव

क्रमांक :- एफ 55()Engg./CE/DLB/19/ 22145-22153 दिनांक - 20/5/19
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत्त शासन विभाग, राजस्थान सरकार।
2. निजी सचिव, निदेशक एवं संयुक्त शासन सचिव स्वायत्त शासन विभाग।
3. आयुक्त, नगर निगम, जयपुर।
4. श्री राजीव गर्ग, अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, नगर निगम, जयपुर को भेजकर लेख है कि संपल लेते समय की विडियोग्राफी, फोटोग्राफी करवाई जावे एवं समस्त तथ्यों/दस्तावेजों सहित जांच रिपोर्ट 15 दिवस में प्रस्तुत करें। सलग्न शिकायत पत्र।
5. श्री मुकेश गुप्ता अधीक्षण अभियन्ता, नगर निगम जयपुर।
6. श्री मनोज शर्मा, अधिशाषी अभियन्ता, निदेशालय।
7. श्री धमेन्द्र जीतरवाल, कनिष्ठ अभियन्ता, निदेशालय।
8. अधिशाषी अधिकारी, नगर पालिका, रामगढ़ शेखावटी।
9. प्रोग्रामर, निदेशालय विभागीय वेबसाइट पर अपलोड एवं ईमेल करने हेतु।
10. सुरक्षित फत्रावली।

(भूपेन्द्र नाथुर)
मुख्य अभियन्ता